न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 18/2017

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 23/03/2017

निर्णय दिनांक : 01/02/2021

श्रीमती संतोष देवी पुत्री देवकरण धर्मपत्नी जयनारायण व्यस्क जाति कुमावत, निवासी बोराज हाल निवासी मण्डा भीमसिंह, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रार्थीया

बनाम

1. देवकरण दत्तक पुत्र बींजा व्यस्क जाति कुमावत निवासी बोराज, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. श्रीमती चौथी देवी पुत्री देवकरण धर्मपत्नी गुलाबचन्द व्यस्त, जाति कुमावत निवासी बोराज हाल निवासी संजीवनी हॉस्पिटल के पास, न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर, जिला जयपुर।
3. सुश्री तन्नू पुत्री (स्व0 बीना) गोविन्दराम जाति कुमावत निवासी राधारियों का बास तन हिरनोदा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।
4. पवन पुत्र (स्व0 बीना) गोविन्दराम जाति कुमावत निवासी राधारियों का बास तन हिरनोदा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।
5. श्रीमती अनीता पुत्री देवकरण धर्मपत्नी प्रेमचन्द, जाति कुमावत निवासी राधारियों का बास तन हिरनोदा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।
6. श्रीमती कमलेश पुत्री देवकरण धर्मपत्नी राजेन्द्र, जाति कुमावत, निवासी बबेरवाल की ढाणी तन जोबनेर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।
7. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री भगवानसिंह राजावत
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

श्री कैलाशचन्द जाट
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 3 ल. 6
तथा अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से पैरोकार उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा
कार्यवाही अमल में लायी गयी।

निर्णय दिनांक 01/02/2021

– निर्णय –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1244, 1245, 1254, 1255 कुल किता 04 कुल रकबा 3.06 हैक्टेयर व साबिक खसरा नम्बर 201, 182, 168, 169 वाके ग्राम उगरियावास तहसील मौजमाबाद में स्थित है, जो प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की मौरूसी मुश्तर्का सम्पति है, जिसमें प्रार्थीनी का 1/6 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3, 4 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा हैं। प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त रूप से काबिज काश्त है तथा लगान सरकारी अप्रार्थी संख्या 1 के मार्फत जमा कराते आ रहे हैं। विवादित आराजी का वरवक्त सैटलमेन्ट पर्चा खातेदारी स्व0 श्रीतमी उची बेवा बींजा कौम कुम्हार निवासी उगरियावास तहसील मौजमाबाद के नाम से आया था। क्योंकि वरवक्त सैटलमेन्ट बींजा का स्वर्गवास हो गया। स्व0 उची देवी अप्रार्थी संख्या 1 की नानी लगती थी। स्व0 उचीदेवी व बींजा के कोई जायन्दा औलाद नही थी, इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 ही उनकी सेवा करता था व पुत्रवत उन्हीं के पास रहता था। इसलिये स्व0 उचीदेवी का स्वर्गवास होने पर विवादित आराजी का स्व0 बींजा की पगडी अप्रार्थी संख्या 1 के बंधने के कारण विरासत का नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने नाम से खुलवा लिया। प्रार्थीनी, अप्रार्थी संख्या 2, स्व0 बीना देवी, अनीता व कमलेश अप्रार्थी संख्या 1 की जायन्दा पुत्रीया व वारिश है तथा विवादित आराजीयात अप्रार्थी संख्या 1 की स्व अर्जित न होकर मौरूसी मुश्तर्का सम्पति है, इसलिये प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण के बहिस्सा बराबर खातेदारी लगनी चाहिये लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने अकेले नामान्तरकरण खुलवा लिया जो प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4, 5 व 6 के हिस्से तक एबइनिसियों वोईड हैं। प्रार्थीनी ने अप्रार्थी संख्या 1 को कई मर्तबा विवादित आराजी में उसका 1/6 हिस्सा नाम लगवाने को कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीनी को आश्वासन दिया कि तुम्हारा विवादित आराजी में 1/6 हिस्सा है जिसको कभी भी तेरे नाम करवा दूंगा, जिस पर विश्वास कर प्रार्थीनी ने कोई कार्यवाही विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 नही की। अप्रार्थी संख्या 1 की नियत में कुछ दिनों से फितुर उत्पन्न हो गया इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 15/03/2017 को

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

दूरभाष पर बात करने पर प्रार्थीनी को कहा कि विवादित आराजी में तुम्हारा कोई हक व हिस्सा नही हैं तथा विवादित आराजी में से आराजी खसरा नम्बर 1244 को जरिये विक्रय–पत्र दिनांक 09/02/2007 को व खसरा नम्बर 1245, 1254 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 22/02/2017 को अप्रार्थी संख्या 6 को विक्रय कर दिया है तथा शेष आराजी को भी विक्रय करूंगा, तुम्हें कोई हिस्सा नही दूंगा इस पर प्रार्थीनी ने दिनांक 16/03/2017 को हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो अप्रार्थी संख्या 1 के कथनों की पुष्टि हुई, इस पर प्रार्थीनी ने आवश्यक दस्तावेजों की नकल प्राप्त कर अपने हितों की रक्षार्थ उनवानी प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा हैं।

प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि ''अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन हैकि प्रार्थीनी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1255 को किसी प्रकार से हस्तान्तरित नही करें तथा अप्रार्थी संख्या 6 विक्रय–पत्र दिनांक 09/02/2017 व 22/02/2017 के आधार पर अपने हक में नामान्तरकरण तस्दीक नही करवाये तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।''

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 16/01/208 को अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 5 बावजूद तामिल माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

दिनांक 10/09/2018 को अप्रार्थी संख्या 3, 4, 6 की ओर से श्री शेख अनवर अली एडवोकेट ने अण्डरटेकिंग ली एवं दिनांक 15/01/2019 को वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

दिनांक 27/02/2019 को कैलाशचन्द चौधरी एडवोकेट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 30/10/2019 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व दफा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

दिनांक 11/12/2019 को प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 5 के विरूद्ध की गयी एकतरफा कार्यवाही मन्सुख की गयी।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

सहायक कलक्टर

दिनांक 17/08/2020 को अप्रार्थी संख्या 1, 3 ल. 6 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 फोरमल पक्षकार हैं। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने बहस करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस मूल प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 236 सम्वत 2073 से 2076, फोटो प्रति खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 से 2029 खाता संख्या 4, फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 483, फोटो प्रति मिलान क्षैत्रफल, फोटो प्रति विक्रय–पत्र दिनांक 09/02/2017, फोटो प्रति विक्रय–पत्र दिनांक 22/02/2017 एवं अप्रार्थी संख्या 1, 3 ल. 6 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

<u>प्रथम दृष्ट्या केस</u> – जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 236 जो प्रार्थीया द्वारा पेश की गयी है, उसके अनुसार विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिस बाबत प्रार्थीया ने दावा व प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर विवादित आराजी पैतृक होने एवं अपना हिस्सा बताते हुये अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने का निवेदन किया गया है, वही दुसरी ओर अप्रार्थी संख्या 1, 3 ल. 6 ने जवाब पेश कर प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया हैं। अवलोकन से अप्रार्थी संख्या 1, 3 ल. 6 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं विक्रय–पत्रों की फोटो प्रतियों से यह साबित है कि उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 को विक्रय की जा चुकी है इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 6 विवादित आराजी की सद्भाविक क्रेती है, जिसके हक में विक्रय–पत्र का नामान्तरकरण खुलना अभी शेष हैं। इस प्रकार वर्तमान परिस्थिति में विवादित आराजी की अप्रार्थी संख्या 6 रिकार्डेड खातेदार काश्कार है इसलिये रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के कब्जे में दखल करने का किसी भी व्यक्ति को कानूनन

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

अधिकार नही है, इसलिये प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीया के बजाय अप्रार्थीगण संख्या 1 व 6 के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

<u>सुविधा का सन्तुलन</u> – जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का अप्रार्थी संख्या 4 रिकार्डेड तत्पश्चात अप्रार्थीया संख्या 6 जरिये विकय–पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार हैं, प्रार्थीया द्वारा उक्त आराजीयात पैतृक आराजीयात बतायी जा रही है, वही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया गया है कि उक्त आराजीयात अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक न होकर स्वअर्जित आराजीयात है, इस प्रकार अभी तक न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी स्पष्ट नही हुआ है कि विवादित आराजीयात पैतृक है या स्वअर्जित है? और इसमें प्रार्थीया का किस प्रकार से हक व हिस्सा बनता है? चूंकि इस तथ्य का एवं प्रार्थीया के हक हकूकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर हो पायेगा तथा अप्रार्थी संख्या 6 जो कि जरिये विकय–पत्र के द्वारा वादग्रस्त आराजी की मालिक व स्वामी है, इसलिये यदि इस स्टेज पर यदि अप्रार्थीया सख्या 6 को पाबन्द किया गया तो अप्रार्थीया संख्या 6 को अपूर्तनीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के बजाय अप्रार्थीगण संख्या 1 व 6 के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

<u>अपूर्तनीय क्षति</u> – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू अप्रार्थीगण संख्या 1 व 6 के पक्ष में बनना पाये जाते है, ऐसी स्थिति में अपूर्तनीय क्षति भी अप्रार्थीया संख्या 1 व 6 के पक्ष में बनना पायी जाती हैं।

इस प्रकार तीनों बिन्दूओं के अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि इसलिये **प्रथमतः** तो एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से कानूनन पाबन्द नही किया जा सकता हैं **द्वितीयतः** विवादित आराजीयात पैतृक है या नही ? तथा विवादित आराजीयात में प्रार्थीया का किसी प्रकार से हक व हिस्सा बनता है तो प्रार्थीया के हक हकूकों का मूल वाद के निस्तारण पर स्वतः ही निर्धारण हो पायेगा।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थी संख्या 1 व 6 के पक्ष में पाया जाता हैं चूंकि अप्रार्थी संख्या 6 विवादित आराजीयात की जरिये विकय–पत्र रिकार्डेड खातेदार है एवं आराजीयात क्रयशुदा है ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थी संख्या 6 जो सद्भावी केती है को किसी प्रकार से पाबन्द किया जाता है तो उसे अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीया को न होकर अप्रार्थी संख्या 6 को कारित होगी, इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) पदु

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) पदु

अप्रार्थीया संख्या 6 के पक्ष में प्रबल है, जिसको अप्रार्थी संख्या 6 ने बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित समझता हैं।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1244, 1245, 1254, 1255 कुल किता 04 कुल रकबा 3.0600 हैक्टेयर वाके ग्राम उगरियावास, तहसील मौजमाबाद के बाबत खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निणय आज दिनांक 01/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
दूदू (जयपुर)